वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 37/2017/1452/52-3-2017-बजट(18)/17

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ □□□□-3 लखनऊः दिनांक 24 अगस्त, 2017

विषयः-राज्य अध्यापक पुरस्कार योजनान्तर्गत चयनित राज्य अध्यापक/अध्यापिकाओं को पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1889/□0□0□0□□0/□□0□□0/2016 दिनांक 14.08.2017 □□संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) □□□□-1 □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/□□-2017- 231/2017, दिनांक 03.08.2017 के प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/□ध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने हेतु 0 07,25,000/- (रू0 सात लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) □□□□□ से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंकध्डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरणध्उपयोगिता प्रमाण.पत्र शासन □□ 31 मार्चए 2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) □□□□□ □□ □□□□ ;एलाटमेन्ट मात्रद्ध किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकारध्केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होए उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□

(5) धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्यता संबंधी आदेशो का विधिवत पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-02 माध्यमिक शिक्षा- 800-अन्य व्यय-12-राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना- 42-अन्य व्यय के नामे □□□ □□□□□

5. यह आदेश वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/□□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव

संख्या- 1452(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□
2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
3- मुख्य कोषाधिकारी, वे□□□□□□, □□□□□
4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□
5- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□
6- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in